4 pages

299

पूर्वोत्तर रेलवे

1
70/2017

372

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0—14-02
क्रमांक— 70/2017
आरबीई सं0—31/2017
सं0 ई/204/1/भाग—VI/चार

दिनांक 20—04—2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय—उन मामलों जिनमें कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी दोनों शारीरिक रूप से विकलांग है,उच्चतर श्रेणी के पासों/मार्गरक्षी की सुविधा का लाभ उठाने में हो रही कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2016/पीएस 5—1/5 दिनांक 06.04.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

20.04.17

(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

20.04.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80/C

RBE No. 31/2017

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 76

भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. E(W)2016/PS5-1/5

New Delhi, dated 06.04.2017

The General Managers (P),
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Removal of hardship being faced in availing higher class passes/escort facility in cases where both the employee and his/her spouse are physically challenged.

The hardship faced in availing escort facility by a physically challenged Railway Servant whose spouse is also a physically challenged person, due to a restrictive Proviso in the Pass Rules has been brought to the notice of Board. The matter has been examined and in order to mitigate the difficulty being faced by such Railway Servants, it has been decided with the approval of Competent Authority to suitably amend the relevant Proviso. Accordingly, the 1st Proviso, below Item No. 3(xxv) under the General Rules relating to Privilege Passes/PTOs in Schedule-II of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) is amended as follows:-

> "Provided the facility at 1, 2 & 3 above will be allowed only on the recommendation of the DMO and where the employee has no family or eligible member for inclusion in the pass. However, the 2nd part of the condition will not be applicable where the employee's spouse and other member(s) eligible for inclusion in the Pass are physically challenged or invalid or children below the age of 12 years."

2. The proviso, as amended above, will replace the proviso to Para 2 of instructions contained in Board's letter No. E(W)93/PS5-1/10 dated 16.12.1993, vide which similar facilities were extended to physically challenged retired railway employees.

3. The other conditions for availing higher class passes/escort facility as contained in the Pass Rules for serving employees and the instructions cited above in respect of retired employees, including the proviso that no attendant will be given when an escort has been allowed, would continue to be applicable.

4. This issues with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

—2/-

आर बी ई सं. 31/2017
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 76

3
70/2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/5 नई दिल्ली, दिनांक 06.04.2017

महाप्रबंधक(कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय: उन मामलों जिनमें कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी दोनों शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उच्चतर श्रेणी के पासों/मार्गरक्षी की सुविधा का लाभ उठाने में हो रही कठिनाई को दूर करने के संबंध में।

दिव्यांग रेल सेवक, जिनका/जिनकी पति/पत्नी भी दिव्यांग हो, द्वारा पास नियमों में प्रतिबंधित उपबंध के कारण मार्गरक्षी की सुविधा का लाभ उठाने में हो रही कठिनाई बोर्ड के ध्यान में लाई गई है. मामले की जांच की गई है तथा ऐसे रेल सेवकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि संगत उपबंध में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए. तदनुसार, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) की अनुसूची-II में, सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत मद सं.3(xxv) के नीचे प्रथम उपबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"बशर्ते उपरोक्त 1, 2 एवं 3 में दी गई सुविधाएं केवल मंडल चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर दी जाएं एवं जहां कर्मचारी का कोई परिवार अथवा पास में शामिल करने योग्य कोई सदस्य न हो. बहरहाल, शर्त का दूसरा भाग लागू नहीं होगा, जहां पास में शामिल करने के लिए पात्र कर्मचारी की पत्नी/पति तथा अन्य सदस्य दिव्यांग अथवा अशक्त व्यक्ति अथवा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों."

2. उपरोक्त संशोधित उपबंध से बोर्ड के दिनांक 16.12.1993 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)93/पीएस 5-1/10, जिसके द्वारा दिव्यांग सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए समान सुविधाएं प्रदान की गई थीं, में अंतर्विष्ट अनुदेशों के पैरा 2 का उपबंध भी प्रतिस्थापित होगा.

3. सेवारत कर्मचारियों के लिए पास नियमों में निहित उच्चतर श्रेणी पासों/मार्गरक्षी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अन्य शर्तें तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में ऊपर दिए गए अनुदेश इस उपबंध के साथ कि जब मार्गरक्षी की अनुमति दी गई हो तो परिचर नहीं दिया जाएगा, जारी रहेंगे.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू) 2016/पीएस5-1/5 **नई दिल्ली, दिनांक 06 .04.2017**

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं.224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(डब्ल्यू) 2016/पीएस5-1/5 **नई दिल्ली, दिनांक 06 .04.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन,नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256- ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सचिव, आरबीएसएस,ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सचिव, आरबीएसएस,ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम, सिकंदराबाद (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)